

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार आर.ए.एस.

(1) अपील सं. 56/2014


1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारासिंह
  2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह
  3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह
- अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा जाटान  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

-अपीलार्थीगण

बनाम

1. मंवरसिंह } पिसरान विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान
2. गंगासिंह } तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. हेतराम पुत्र सुरजाराम -मृतक  
3/1अन्नीदेवी पत्नी हेतराम } जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील  
3/2 मदनलाल पुत्र हेतराम } सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. हनुमान पुत्र सहीराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी अमरपुरा जाटान  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. महावीर } पिसरान हेतराम पुत्र सैदाराम जाति बिश्नोई निवासीगण अमरपुरा
6. ओमप्रकाश } जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. आत्माराम }
8. मंजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला  
श्रीगंगानगर।
9. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ  
जिला श्रीगंगानगर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

-रेस्पोंडेन्टान

  
28/11/17  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)



(2) अपील संख्या 11/2015

इन्सुमान पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी माणकरसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।  
—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारसिंह
2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह
3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह
4. भंवरसिंह
5. गंगासिंह
6. हेतराम पुत्र सुरजाराम —मृतक
- 6/1 अन्नीदेवी पत्नी हेतराम
- 6/2 मदनलाल पुत्र हेतराम
7. महावीर
8. ओमप्रकाश
9. आत्माराम
10. मंजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
11. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ ।
13. उप-पंजीयक सूरतगढ

अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

पिसरान विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

पिसरान हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोंडेन्टान

(3) अपील संख्या 25/2015

1. महावीर
2. ओमप्रकाश

पिसरान हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण माणकरसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थीगण

28/4/17  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

## बनाम


1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारसिंह } अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा
2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह } जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह }
4. भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. गंगासिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. हेतराम पुत्र सुरजाराम -मृतक  
6/1अन्नीदेवी पत्नी हेतराम } जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील  
6/2 मदनलाल पुत्र हेतराम } सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. हनुमान पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. आत्माराम पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. मजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
12. उप-पंजीयक सूरतगढ

-रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ 1955

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 19.05.2014

  
28/11/14  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित:-

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक हनुमान आदि की ओर से  
श्री अशोक छाबडा अभिभाषक गुरसेव सिंह आदि की ओर से  
श्री धर्मपाल सिहाग अभिभाषक महावीर आदि की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया सूरजीत कौर ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.कारत.अधि.की धारा 88, 188, 209 का पेश कर वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क, ख, ग, घ, ङ, च, छ के अनुसार वाद डिकी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 9 व 10 ने जबाब दावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित 13 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 19.05.2014 को वादीया का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरुद्ध उपरोक्त तीनों अपीलें पेश कीं। तीनों ही अपीलों एक ही आदेश के विरुद्ध होने से उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जाये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

तीनों ही अपीलों में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील मीनों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील में चाहे गये अनुतोष अनुसार अपीलों स्वीकार करने का निवेदन किया एवं रैस्पों. अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश को सही बताया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील संख्या 11/2015 हनुमान बनाम गुरसेव सिंह, अपील संख्या 56/2014 गुरसेवसिंह बनाम भंवरसिंह व अपील संख्या 25/2015 महावीर आदि बनाम गुरसेवसिंह एक ही निर्णय द्वारा उपखंड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 19.05.2014 के विरुद्ध पेश की है जो एक दूसरे के पूरक एवं एक ही विवाद से

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
शीमागानगर (राज.)



सम्बन्धित होकर एक साथ निर्णय किया जाता है, जिसमें अपील संख्या 11/2015 में अपीलांत ने तनकियात गलत ढंग से विवेचित होने की वजह से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। वही अपील संख्या 56/2014 में अपीलांत द्वारा दावा आंशिक डिक्ली के बजाय पूर्णरूपेण डिक्ली का अनुतोष चाह कर अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। अपील संख्या 25/2015 में अपीलांत द्वारा दावे के आंशिक स्वीकार में जो आराजी अपील संख्या 11/2015 के अपीलांत को जो आराजी अपीलांत दी है वह उसकी होना बताकर दावा निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जो प्रकरण सं. 152/2007 सुरजीतकौर बनाम भंवरसिंह निर्णय दिनांक 19.05.2014 से तीनों ही अपीलांत पीड़ित होकर अपीले दायरकी है। तीनों ही अपीलों का सार यह है कि तहसील सूरतागढ़ के ग्राम अमरपुरा जाटान की ख0न0 168 की 208.14 बीघा भूमि में से 164 बीघा भूमि को चक प्लान में परिवर्तित किये जाने पर वादिया सुरजीतकौर की इस खसरे में 12 बीघा भूमि जो क्य की हुई है वह गलत F# की होना जाहिर किया जो दावे के अनुसार F# करने का अनुतोष चाहा। दावे में कुल 12 तनकियात कायम हुई जिसमें वादिया की क्य शुदा भूमि की वह खातेदार है स्वतः ही प्रमाणित है दूसरी तनकी ख0न0 168 की 208.14 बीघा में से 164 बीघा जमीन चक प्लान में तब्दील हुई रेकार्ड से साबित है। विवाद का मूल बिन्दु तनकी संख्या 3 व 4 है जिसके विवेचन का मूल आधार वादिया के शपथ पत्र है जबकि अधी0 न्यायालय की पत्रावली पर पेश फार्म नं. 3 के साथ पेश राजस्व रेकार्ड की छाया प्रतियों में ग्राम अमरपुरा जाटान के ख0न0 168 की सर्वेसीट, अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 31 से 40 सूची नम्बर 4की छाया प्रतियां अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं0 53 से 55 ग्राम अमरपुरा का प्लान का 12 एलएसडी में तब्दील compare register की छाया प्रतियां, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य दावे में तनकी संख्या 3 व 4 के विवेचन का आधार होना चाहिए था, जिस पर न तो प्रदर्श डाले है, न ही



*[Handwritten Signature]*  
28/11/12  
पुनर्विचार अपील प्राधिकारी  
जलंधर (पंजाब)

परिक्षित हुए जिनका गहनता से अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि सर्वे कार्यवाही सही हुई है तथा अधीन न्यायालय के तनकियात गलत निर्णित की है जो सरजीतकौर के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 से 10 में सिर्फ एक तनकी सं. 5 का विनिश्चय वादिया के पक्ष में शपथ पत्र आधार पर निर्णित की है वह तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की है। अतः तनकी 6 से 10 वादिया के पक्ष में निर्णित होना निर्णय में दर्शाया है जबकि सिविल प्रकिया सहिता 1908 के आदेश 14 नियम 2 के प्राक्धानुसार सभी Issues का विवेचन अपेक्षित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करने से निर्णय में विधिक नुक्स है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के पृष्ठ संख्या 88 पर जो मुरब्बे बंदी की तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध है जिसका सन्दर्भ भाग स्पष्ट करता है कि

1. राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-1) विभाग क्रमांक प.13 (14)राज.1/02 दिनांक 27.05.2003 से जारी अधिसूचना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 107 के तहत तहसील सूरतगढ के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के 43 ग्रामों के मौके के अनुरूप मु.नं. व कि.नं. में परिवर्तन किये जाने के लिये अधिसूचना जारी की गई थी।

राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.05.2003 द्वारा चक बंदी कार्य के लिये मौके के अनुरूप मु.नं. कि.नं. में रिकार्ड परिवर्तन करने के लिए उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को अपर भू- अभिलेख अधिकारी व तहसीलदार सूरतगढ को सहायक भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

3. उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में चकबन्दी/मुरब्बाबन्दी करने हेतु जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक:एफ 9(1)(1) भू.ज./ रिकार्ड / 91 /2919 दिनांक 05.08.2003 को आदेश प्रेषित किये गये।
4. मुरब्बाबन्दी का कार्य विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्देशों अनुसार किया गया है। इसमें आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर का पत्र क्रमांक: एफ5(ई)(64) उपनि /83/7817 दिनांक 15.09.1998 व भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर का पत्र क्रमांक भू



*[Handwritten Signature]*  
28/11/17  
राजस्थान सरकार  
श्रीगंगानगर (राज.)

प्र.आ./स.मु./भू.कर/11/8/1/85 पार्ट II/70 दिनांक 02.01.1998 शामिल है।

5. चकबन्दी की इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्व रिकार्ड से सूची नं. 4 तैयार की गई है। उसके बाद मौका देखा जाकर कब्जा अनुसार रिकार्ड एवं सर्वे हिदायतों के अनुसार पर्चा खतौनी तैयार की जाकर एक पर्चा खतौनी सम्बन्धित काश्तकार को दी जाकर एतराज सुनवाई का समय दिया गया। जिन-जिन काश्तकारों द्वारा लिखित में एतराज प्रस्तुत किये गये उन प्रकरणों में सहायक भू.अ. अधिकारी द्वारा मौके पर सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया तथा जिन-जिन काश्तकारों का एतराज रिकार्ड अनुसार उचित नहीं था के एतराज अपर भू.अ. अधिकारी को प्रेषित किये गये। अपर भू.अ. अधिकारी द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। तत्पश्चात जमाबन्दी का लेखन किया गया।
6. वर्तमान में 18 चकों/ दो ग्रामों की जमाबन्दी की जांच के बाद स.मु.अ. अधिकारी द्वारा अन्तिम प्रमाणित की जा चुकी है जिस पर अपर भू.अ. अधिकारी के प्रतिहरस्ताक्षर भी हो चुके हैं।
7. उक्त ग्रामों की चकबन्दी का कार्य पूरा होने पर विधिवत राजपत्र में प्रकाशित करने बाबत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को श्रीमान अपर भू.अ. अधिकारी के पत्र क्रमांक आवंटन/07/273 दिनांक 09.03.2007 से प्रेषित कर दिया है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक सम/1773-74 दिनांक 22.03.2007 से राज्य सरकार को भी अधिसूचना जारी करने हेतु निवेदन कर दिया गया है।

इस प्रक्रिया से जो सर्वे कार्य सम्पन्न हुआ है उसे मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकियात विनिश्चय करना उचित नहीं है। अतः चक प्लान सही होना साबित होकर तनकी संख्या 5 से 10 सरजीतकौर के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 11 अधी न्यायालय द्वारा विवेचित नहीं की है तथा तनकी संख्या 12 का विवेचन प्रतिवादी हनुमान के विरुद्ध निर्णित की है। निर्णय का

8/11/12  
28/11/12  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

आधार कोई साक्ष्य पेश नहीं करना दर्शाया है जबकि अधीन्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 124 पर अति. कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भेजी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.03.2007 संदर्भित है जिसमें अति.कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा वादिया के पति की उपस्थिति में विवादित भूमि का मौका देखा जिसमें तथ्यों का विवेचन निम्नानुसार किया है कि खरीदशुदा भूमि को चक 12 एसएलडी प.नं. 64/387 कि.नं. 3, 4, 5, 8 फिट की गई है वह गलत है जबकि उसे इसी चक के प.नं. 65/387 कि.नं. 3, 8, 13, 14 फिट किये जावे। शिकायतकर्ता ने मु.नं. 65/387 कि.नं. 3, 8, 13, 14 पर अपना कब्जा होना बताया है। परन्तु मौका पर उपस्थित अन्य पड़ोसियों भंवरसिंह, गंगासिंह, हनुमान का कथन है कि यह भूमि पूर्व में रामनिवास के परदादा के नाम थी जिसे गत वर्ष ही रामनिवास ने शिकायतकर्ता को दी थी। शिकायतकर्ता ने मु.नं. 64/387 कि.नं. 3, 4, 5, 8 की 4 बीघा पर हेतुराम का कब्जा होना बताया है जबकि मौका पर उपस्थित हनुमान, भंवरसिंह, गंगासिंह व अन्य लोगों ने बताया कि यह भूमि पूर्व में शिकायतकर्ता की ही थी। यह भूमि शिकायतकर्ता ने एक साल पूर्व ही हेतराम को दी थी। हेतराम का कथन है कि यह भूमि मेरे पास पहले से ही थी। अतः मौके पर अन्य व्यक्तियों के कथनानुसार शिकायतकर्ता को कि.नं. 3, 4, 5, 8 की फिटिंग सही की गई है। मौका पर उपस्थित शिकायतकर्ता की भूमि बेचानकर्ता भंवरसिंह, गंगासिंह ने बताया कि हमने शिकायतकर्ता को जो भूमि जरिये रजिस्ट्री बेची थी उसका रजिस्ट्री में पूरा हवाला है, उसी अनुसार कब्जा दिया गया। शिकायतकर्ता ने मौका पर काश्त की गई भूमि के पास ही मिटटी निकालकर डाल रखी है। बेचानकर्ता ने उक्त टिब्बों की भूमि को ही शिकायतकर्ता को बेचान करना बताया है जबकि शिकायतकर्ता ने बताया कि उनको यह भूमि नहीं बेचकर वर्तमान में कब्जाशुदा भूमि के दक्षिण दिशा में लगती भूमि बेची है। इस प्रकार स्पष्ट है कि केता(शिकायतकर्ता) मौका पर जिस भूमि को कय करना बताता है। विकेंता उक्त तथ्य से सहमत नहीं है।




*[Handwritten Signature]*  
28/11/17  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 11 व 12 अपील संख्या 11/2015 के अपीलाट हनुमान के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन, कायम तनकियात के इस न्यायालय के विवेचन, उभय पक्ष अभिभावकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तहसील सूरतगढ के ग्राम अमरपुरा जाटान की चकबंदी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.6(33)राज/87 दिनांक 20.11.1987, भू-प्रबन्ध विभाग के परिपत्र क्रमांक भू.अ./रा म/भू.कर/ 11/ 8 / 1/85 पार्ट II जयपुर दिनांक 9.01.98, उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर रेकार्ड संघारण के लिए जारी आदेश क्रमांक एफ-5/इ/84उपनिवेशन/83/7817 दिनांक 15.04.98 व सर्वे हिदायत क्रमांक/एफ-6/रा.मु.सर्वे/98वी में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम अमरपुरा जाटान के ख.न. 168 में 12 बीघा भूमि चक 12 एसएसडी में प.नं. 64/387 में कि.न. 1 से 5, 8 से 10 की 8 बीघा एवं प.न. 65/387 में कि.न. 4 से 7 की 4 बीघा कुल 12 बीघा भूमि की फिटिंग सही होना सिद्ध होना एवं अधी.न्यायालय द्वारा जो दावा डिकी कर उपरोक्त में परिवर्तन किया है वह अपास्त योग्य होकर अपील संख्या 11/2015 उनवान हनुमान बनाम गुरसेवसिंह व अपील संख्या 25/2015 महावीर आदि बनाम गुरसेवसिंह स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2014 अपास्त किया जाता है एवं अपील संख्या 56/2014 गुरसेवसिंह बनाम भंवरसिंह आदि अस्वीकार की जाती है तथा चकबंदी होना विधि अनुसार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(प्रकाश राम परमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर



## डिकी व सीगे अपील

(ओ.41 कल 35, जायदा दिवसी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर  
इजलास श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी.

हनुमान पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ जिला  
श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

### बनाम

1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारासिंह
2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह
3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह
4. भंवरसिंह
5. गंगासिंह
6. हेतराम पुत्र सुरजाराम - मृतक
- 6/1 अन्नीदेवी पत्नी हेतराम
- 6/2 मदनलाल पुत्र हेतराम
7. महावीर
8. ओमप्रकाश
9. आत्माराम
10. मंजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
11. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
13. उप-पंजीयक सूरतगढ

अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा जाटान  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

पिसरान विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील  
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

पिसरान हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण अमरपुरा  
जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला  
श्रीगंगानगर।

जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला  
श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

उप-पंजीयक सूरतगढ

-रेस्पोंडेंटान

अपील संख्या 11/2015 व नाराजगी डिकी अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ  
निर्णय दिनांक 19.05.2014

### दावा बाबत

यह अपील व तारीख 28 माह 11 सन् 2017 रुबरु मुझ हाजरी श्री शिशपाल  
शर्मा अभिभाषक मिनजानिद अपीलांट व श्री अशोक छाबडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

28/11/17

से 3 समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2014 अपास्त किया जाता है (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिंग...X...) रुपये...X... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28.11.2017 को जारी किया गया।



*[Handwritten Signature]*  
 राज्य अदीलत प्राधिकारी  
 श्रीरंगपटना